बिहार सरकार योजना एवं विकास विमाग

अधिस्चना

यो05(वि0)9/2002(पार्ट-1)- 575/यो0वि0, पटना, दिनांक 0 7 फरवरी, 2014 अधि०सं०: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार योजना सेवा नियमावली, 2009 में संशोधन करने हेतू निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-
 - (1) यह नियमावली बिहार योजना सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
- बिहार योजना सेवा नियमावली, 2009 के नियम 12 का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली, 2009 का नियम 12 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
- परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम |- परीक्षाओं के लिए विषय, पाठयक्रम एवं न्युनतम अर्हतांक का अवधारण संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

B3714 (विजय प्रेकाश)

सरकार के प्रधान सचिव

जापांक: प्रतिलिपिः

यो05(वि0)9/2002(पार्ट-1)-575/यो0वि0, पटना, दिनांक 0 7 फरवरी, 2014 ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ि??!' सरकार की प्रधान सचिव

ज्ञापाक: प्रतिलिपिः यो05(वि0)9/2002(पार्ट-1)- 575 /यो0वि0, पटना, दिनांक 07 फरवरी, 2014

महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेंषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: प्रतिलिपिः यो05(वि0)9/2002(पार्ट-1)- 575/यो0वि0, पटना, दिनांक 07 फरवरी, 2014 मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान प्राचिव

ज्ञापाकः प्रतिलिपिः यो05(वि0)9/2002(पार्ट-।)- 575/यो0वि0, पटना, दिनांक 07 फरवरी, 2014 सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार / सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

Government of Bihar Department of Planning & Development Notification

Noti. No.: Yo5(vi)9/2002(Part-1)- 575 /PD,Patna Dated 07 February,2014
In exercise of the power conferred under provision to Article 309 of the constitution of India. Government of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend "The Bihar Planning Service Rules 2009":-

- 2. Short title, extent and Commencement:
 - (1) These Rules may be called "The Bihar Planning Service Rules 2014"
 - (2) It shall extend to the whole to the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
- Substitution of Rule 12 of Bihar Planning Service Rules 2009.

The Rule 12 of the said Rules 2009 shall be substituted by the following:-

"12 Subject and Syllabus of the Examination- Determination of Subject, Syllabus and minimum qualification for the examination shall be in accordance with the Combined Competitive Examination."

By the order of Governor of Bihar,

(Vijoy Prakash) Principal Secretary

Memo No.: Yo5(vi)9/2002(Part-1)-575 /PD,Patna Dated 07 February,2014
Copy to: E-Gazette Cell, Finance Department with two sets of Hindi & English version of the Cadre Rule with CD for publishing it in the coming Extra-ordinary Gazette.

Principal Secretary

Memo No.: Yo5(vi)9/2002(Part-1)- 575 /PD,Patna Dated 07 February,2014 Copy to: Accountant General, Bihar, Patna for information & necessary action.

Principal Secretary

Memo No.: Yo5(vi)9/2002(Part-1)- 575 /PD,Patna Dated by February,2014
Copy to: Chief Secretary, Bihar/Development Commissioner, Bihar/Principal Secretary/Secretary, Finance Department/Cabinet Co-ordination Department/General Administration Department/Law Department, Bihar, Patna for information.

Principal Secretary

Memo No.: Yo5(vi)9/2002(Part-1)- 575 /PD,Patna Dated or February,2014
Copy to: All Divisional Commissioner/All District Magistrate/All Regional Planning Officer/All District Planning Officer, Bihar for information and necessary action.

Principal Secretary